

राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : डीसी / 2013 /


दिनांक :

1. श्री अशोक कुमार मीणा
औषधि नियंत्रण अधिकारी
मुख्यालय, जयपुर।
2. श्री नरेन्द्र कुमार रैगर
औषधि नियंत्रण अधिकारी
मुख्यालय, जयपुर।

विषय:- नकली दवा नियंत्रण प्रकोष्ठ में नियुक्त अधिकारियों द्वारा औषधि विक्रेताओं के निरीक्षण के क्रम में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि आप द्वारा पिछले तीन-चार महीनों में जिन-जिन खुदरा/थोक विक्रेताओं का निरीक्षण किया गया उन निरीक्षणों में से कुछ फर्मों की निरीक्षण रिपोर्टों का अध्ययन मेरे द्वारा स्वयं किया। आप दोनों अधिकारियों को नकली दवा नियंत्रण प्रकोष्ठ के कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है परन्तु आपके द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट नियम 65 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित नहीं करती है, न ही एक ऐसा प्रकरण प्रस्तुत किया है जो महत्वपूर्ण हो, जबकि आपका कार्य पूरे राज्य में भ्रमण कर निरीक्षण करना है।

पूर्व में जयपुर जिले में औषधि नियंत्रण अधिकारियों की भारी कमी थी परन्तु वर्तमान में 9 औषधि नियंत्रण अधिकारी, सेठी कालोनी स्थित कार्यालय में एवं 6 अधिकारी मुख्यालय में कार्यरत हैं। जिनका कार्य विभाजन किया गया है। ऐसी स्थिति में नकली दवा नियंत्रण प्रकोष्ठ के अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सम्बन्धित क्षेत्र के औषधि नियंत्रण अधिकारी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से ही निरीक्षण करेंगे। विशेष परिस्थितियों में सहायक औषधि नियंत्रक/औषधि नियंत्रक के आदेश पर भी कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जिलों में जाने का प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में संबंधित सहायक औषधि नियंत्रक को प्रेषित करेंगे एवं उसकी क्रियान्विति करेंगे।



(अशोक भण्डारी)
औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : डीसी / 2013 / 598

दिनांक : 27.11.2013

प्रतिलिपि:-

1. औषधि नियंत्रक-द्वितीय, मुख्यालय को सूचनार्थ।
2. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त अधिकारियों के प्रस्तावित कार्यक्रम पर सम्बन्धित औषधि नियंत्रण अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण हेतु निर्देशित करें।
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया इसे सभी सहायक औषधि नियंत्रकों को ई-मेल कर विभाग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करें।


(अशोक भण्डारी)
औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर